500Rs.

FIVE HUNDRED RUPEES

कुल मालियती 1200501 रू0

श्रीमती विद्यावती मिश्रा पत्नी श्री छोटे लाल मिश्रा निवासी भिण्ड म. प्र. की स्मृति में इस लोकन्यास का निर्माण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा उसके प्रचार प्रसार के लिये व परमार्थ कार्यो के लिए किया गया है।

(1) ट्रस्ट का नाम — श्रीमती विद्यावती मिश्रा मेमोरियल लोक न्यास भिण्ड (म. प्र.)

(2) न्यास के निर्माता — पं. श्री छोटे लाल मिश्रा आत्मज स्व. डॉ. शंकर लाल मिश्रा आयु 80 वर्ष निवासी गर्ल्स स्कूल गली भिण्ड म. प्र.

(3) न्यास का कार्य क्षेत्र — सम्पूर्ण मध्य प्रदेश

(4) न्यास की सम्पत्ति — (1) अचल सम्पत्ति का विवरण खण्ड 21(1) में दर्ज है।
(2) चल सम्पत्ति का विवरण खण्ड 21(2) में दर्ज है।

(5) न्यास परिषद — इस लोक न्यास परिषद में निम्नांकित 5 सदस्य होगें। आवश्यक होने पर बहुमत से व रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट की सहमति से दो सदस्य और बनाऐ जा सकेगें व इस प्रकार परिषद के कुल 7 सदस्य होगें।

सदस्यों के नाम — (1) पं. श्री छोटे लाल मिश्रा पुत्र स्व. डॉ. शंकर लाल मिश्रा
निवासी गर्ल्स स्कूल गली भिण्ड म. प्र. (प्रबंध न्यासी)

(2) श्री सुदर्शन स्वरूप मिश्रा पुत्र स्व. श्री मुन्नी लाल मिश्रा
वनखण्डेश्वर रोड भिण्ड म. प्र. (सदस्य)

(3) श्री अशोक कुमार दुबे पुत्र श्री बी0 डी0 दुबे
गर्ल्स स्कूल गली भिण्ड म. प्र. (सदस्य)

(4) श्री शैलेन्द्र बरूआ पुत्र श्री कृष्ण मुरारी शर्मा
अटेर जिला भिण्ड म. प्र.(सदस्य)

(5) श्री अमित दुबे पुत्र श्री अशोक कुमार दुबे
निवासी गर्ल्स स्कूल रोड भिण्ड म. प्र. (सदस्य)

(6) **न्यास के पदाधिकारी** – इस न्यास का पदाधिकारी केवल प्रबंध न्यासी होगा। परिषद की बैठक के रोज ,बैठक की अध्यक्षता करने के लिये प्रबंध न्यासी की अनुपस्थिति में उस रौंज बैठक में उपस्थित सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को बहुमत से अध्यक्ष चुन लिया जावेगा।

(7) कार्यकाल व उत्तराधिकारी की रीति -- न्यास परिषद के पदाधिकारी प्रबध न्यासी निर्माता न्यास है। यही जीवन पर्यन्त प्रंबध न्यासी रहेगें और उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति उनके बाद प्रंबध न्यासी होगा। मनोनयन की सूचना रजिस्टार ट्रस्ट को दी जावेगी। ऐसा न होने पर न्यास परिषद के सदस्यों में से ही प्रंबध न्यासी बहुमत से चुना जावेगा।

(8) रिक्त पद की पूर्ती – न्यास के सदस्यों में से किसी भी कारण से पद रिक्त होने की दशा में एक माह की समयावधि मे रिक्त पद की पूर्ती रजिस्ट्रार लोक न्यास को सूचना देकर शेष न्यास परिषद के बहुमत से या रजिस्टार के निर्देशानुसार चुनाव होगा तथा रिक्त पद की पूर्ती होगी।

(9) न्यास परिषद के सदस्यों की योग्यता – के लिये म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 में दर्शायी गई योग्यताऐं ही मान्य की जावेगी।

(10) न्यास परिषद के उद्देश्य – (1) शिक्षा उपलब्ध कराना ,प्रचार व प्रसार करना।

(2) उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना।
(3) स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना।
(4) पुस्तकालय एवं वाचनालय की समुचित व्यवस्था करना।
(5) आवश्यक भवन ,प्रयोगशाला ,तकनीकी उपकरण की व्यवस्था करना।
(6) प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करना।
(7) छात्रावास की व्यवस्था करना।
(8) उच्च स्तरीय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में इंजी. कॉलेज, मेडीकल कॉलेज, पैथोलोजी कोर्स, कंप्यूटर कोर्स जैसी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना व चलाना।
(9) गरीब व मेधावी छात्रों में कम से कम दो छात्रों को प्रतिवर्ष निशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करना।

(11) गणपूर्ति – (1) चुनाव के लिये व ठहराव पारित करने के लिये गणपूर्ति (कोरम) तीन सदस्यों का होगा। यदि परिषद के सात सदस्य होंगे, तो गणपूर्ति के लिये पॉच सदस्य होना आवश्यक होगा।
(2) गणपूर्ति के अभाव में विषयावली (एजेंडा) के विषयों पर बैठक की तारीख पर उसी स्थान पर आधा घंटा प्रतीक्षा करने के पश्चात् उपस्थित सदस्य जो भी निर्णय लेंगे वह मान्य होंगे ।
(3) गणपूर्ति होने पर व यदि सभी सदस्य उपस्थित हैं तो अध्यक्ष की अनुमति से विषयावली में अंकित विषयों के अतिरिक्त भी अन्य प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हो सकेगा तथा निर्णय लिया जावेगा।

(12) प्रबंध न्यासी के अधिकार व कार्य – (1) परिषद की बैठक आहूत करना।
(2) परिषद की बैठक के लिये एजेंडा बनाना व एजेंडा रजिस्ट्रार पर 15 दिन पूर्व बैठक की सूचना देना।
(3) परिषद के सदस्यों को बैठक के लिये निश्चित की गई तारीख से 15 दिन पूर्व यू.पी.सी. से सूचना देना।
(4) एजेंडा बुक, रजिस्टर, प्रोसिडिंग स्टॉक रजिस्टर , कैश बुक लेजर बाउचर फाइल्स जमा व खर्च बावत् रखना व लिखना ।
(5) न्यास परिषद तथा न्यास संपत्ति की रक्षा करना व सुरक्षित रखने की समुचित प्रबंध करना।

(6) मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम के प्रावधानो के अधीन वांछित समस्त जानकारी रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट को भेजना।

(7) न्यास के लेखा–जोखा का आडिट प्रतिवर्ष कराना, अनुमानित आय व्यय पत्रक बनाकर परिषद से स्वीकृत कराना व उनकी प्रतियां सूचनार्थ रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट को भेजना ।

(8) न्यास के बैंक खाते का कियान्वयन करना ।

(13) सदस्य के अधिकार – (1) बैठक में भाग लेना ।

(2) न्यास के उद्देश्यों में रूचि बनाये रखना ।

(3) न्यास के उद्देश्यों के विरूद्ध कोई कार्य न करना।

(14) न्यास के बैंक खाते का कियान्वयन – न्यास के खातों का कियान्वयन प्रबंध न्यासी के हस्ताक्षरों से तथा चुने गये दो सदस्यों में से जो भी उपलब्ध हो के संयुक्त हस्ताक्षरों से खातों का कियान्यवयन होगा।

(15) न्यास का वर्ष – दिनांक 1 अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक का वर्ष हिसाब किताब के लिये माना जावेगा।

(16) नियम बनाने की शक्ति– (1) न्यास का काम सुचारू रूप से चलाने के लिये न्यास परिषद को आवश्यकतानुसार नियम बनाने का अधिकार होगा किंतु नियम न्यास के पत्र के प्रावधानों से विसंगत नहीं होंगे ।

(2) न्यास परिषद के 2/3 के बहुमत से किसी न्यासी को हटाया जा सकेगा। परंतु इस हेतु उस न्यासी को 15 दिन पूर्व में सूचना दी जावेगी। तथा उसे अपना तर्क प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया जावेगा तथा इसकी सूचना रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट को पहले से दी जावेगी।

(17) सीलें बनवाना– न्यास के नाम की एक सील ,प्रबंध न्यासी के पद की एक सील व सदस्यों में से जो भी एक व्यक्ति अध्यक्ष चुना गया है उसके नाम की एक सील बनवाई जायेगी।

(18) न्यास के आय के साधन– (1) न्यास के निर्माता आवश्यकतानुसार समय–समय पर जो भी योगदान स्वेच्छा से करें।

(2) दाना दाता जो न्यास के उद्देश्यों में रूचि रखते हों सहायतार्थ उन दान दाताओं से होने वाला दान न्यास स्वीकृत कर सकेगा।

(3) शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्रदत्त शुल्क ।

(4) न्यास के विकास के लिये यदि आवश्यक हुआ तो किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक से मदद ली जा सकेगी जिस हेतु वांछित दस्तावेजों की पूर्ति मुख्य न्यासी करेगा साथ ही प्राईवेट कंपनी तथा किसी व्यक्ति से भी आर्थिक मदद ली जा सकेगी।

(19) न्यायालयीन कार्यवाही – न्यास की ओर से न्यास के विरूद्ध होने वाली न्यायालयीन कार्यवाही के लिये प्रबंध न्यास की ओर से कार्यवाही करने का अधिकारी होगा। और न्यास परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रबंध न्यासी न्यायालयीन कार्यवाही में न्यास की ओर से कार्य करेगा।

(20) नियुक्तियों व वेतन–शैक्षणिक संस्थाओं के लिये उपयुक्त शिक्षकों व प्राचार्य व अन्य स्टाफ की नियुक्तियां व वेतन आदि न्यास परिषद के ठहराव के अनुसार प्रबंध न्यासी के हस्ताक्षर से की जावेगी ।

(21) खर्च का अधिकार–प्रबंध न्यासी को तुरंत आवश्यक होने पर व न्यास परिषद् में से चुने गये अध्यक्ष को जो धनराशि खर्च करने का अधिकार न्यास परिषद् तय करेगी उसके अनुसार ही होगा। न्यास परिषद् के सदस्यों को पृथक किया जाना मध्यप्रदेश लोकन्यास 1951 के प्रावधानों के अधीन ही परिषद् सदस्य का पद रिक्त हुआ माना जावेगा या त्याग पत्र तथा सूचना देकर पृथक किया जा सकेगा। पृथक किये जाने की जानकारी रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी जावेगी।

(22)ट्रस्ट की संपत्ति के बारे में विवरण–(1)अचल संपत्ति आराजी ग्राम विक्रमपुरा तहसील जिला भिण्ड
सर्वे न0 372 रकवा 240 आरे में से 215 आरे
सर्वे न0 378 रकवा 115 आरे
सर्वे न0 379 रकवा 209 आरे
सर्वे न0 380 रकवा 930 आरे में से 721 आरे
कुल एक हैक्टेयर 260 आरे अचंल संपत्ति मालियती 1000000रू0
(2) चल संपत्ति 2 लाख 501 रू0
कुल योग 1200501 रू0

यह न्यास पत्र मैंने स्वेच्छा से स्वस्थ चित्त समझ बूझकर लिख दिया तथा अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

श्रीमती विद्यावती मेमोरियल लोक न्यास भिण्ड का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट द्वारा भी किया जा चुका है। जिसका पंजीयन क्रमांक 62/28.01.02 है।

दिनांक 07/03/2003

हस्ताक्षर निर्माता

स्थान – भिण्ड अरविंद कुमार शुक्ला दस्तावेज लेखक

गवाहों के नाम – (1) [illegible]
(2) [illegible]

1. दस्तावेज लेखक का नाम : अरविन्द कुमार शुक्ला
2. लायसेन्स क्रमांक ....
3. दस्तावेज लेखक का स्थान : भिण्ड
4. निष्पादक का नाम ....
5. रजी में क्रमांक ...3l............ तारीख. 7/3/03
6. ली गई फीस रु. ...10............ पैसे..
ह. दस्तावेज लेखक

P-II खसरा पांच साला का नया फार्म

नाम -------- विक्रमपुरा -------- हल्का नं. ------ 53 ------ तहसील --- भिण्ड ----- जिला --- भिण्ड --- सन् . सम्वत २०६५

नम्बर	रकबा (यदि विवरण) खाते की भूमि गैर है	कब्जेदार का नाम पिता या पति का नाम सकूनत हक्क जमा या लगान देखो कंडिका 5, अध्याय 5 वैड रिकार्ड, मैन्युअल जिल्द	भूमि स्वामी के पट्टाधारी या के मौरूमी कृषक के उप पट्टाधारी का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की राशि और पट्टे पर दी गई भूमि रकबा।	रकबा जो खाता में शामिल है: जिस पर साल के अन्दर फसल हुई: नाम जिन्स	रकबा	रकबा दुफसली	पड़ती का रकबा २०६५: चालू वर्ष की पड़ती	2 साल से 5 साल तक की पावती	अन्य पड़ती	नाम जिन्स और रकबा जो गैर खाते रकबे से हुई	कैफियत	फिरसील तब्दीलियों की: वर्ष ✗: खसरे के खाते का नम्बर जिसमें तब्दीली होगी	तरसीम किया हुआ दाखिला	वर्ष ✗: खसरे के खाते का नम्बर जिसमें तब्दीली होगी	तरसीम किया हुआ दाखिला	वर्ष ✗: खसरे के खाते का नम्बर जिसमें तब्दीली होगी	तरसीम किया हुआ दाखिला	वर्ष ✗: खसरे के खाते का नम्बर जिसमें तब्दीली होगी	तरसीम किया हुआ दाखिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
362 मिन	0.215	विद्यावती मिश्रा मेमोरियल पाब्लिक ट्रस्ट भिण्ड भूमि स्वामी भू० रा० ११.६२	✗		✗	✗	✗	✗	पड़त 0.115			✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
368 369	0.115 0.209	विद्यावती मिश्रा मेमोरियल पाब्लिक ट्रस्ट भिण्ड यथा पूर्व क्र० 362 मिन भू०रा० 362 मिन भूमि स्वामी							पड़त 0.324		० ट्यूबैल								
380 मिन	0.621	विद्यावती मिश्रा मेमोरियल पाब्लिक ट्रस्ट भिण्ड यथा पूर्व क्र० 362 मिन भू०रा० शा० क्र० 362 भूमि स्वामी	✗		✗	✗	✗	✗	पड़त 0.621		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

नकल असल के मुताबिक

पटवारी
हल्का नं. 53
ग्राम विक्रमपुरा (भिण्ड)
जिला भिण्ड (म० प्र०)